कार्यालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पलामू।

(राजस्व शाखा)

Phone No-06562-228008 email.id-officeadditional@gmail.com

–:: अनापत्ति प्रमाण–पत्र ::–

प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड, रांची के पत्रांक–1700/RE. दिनांक–15.03.18 के आलोक में पलामू जिले के तरहसी अंचल अंतर्गत कसमार, थाना नं0–495, खाता नं0–137, प्लॉट नं0–2057/I, रकबा–2.00 एकड़, किस्म–गैरमजरूआ मालिक जंगल–साखु भूमि पर 33/11KV Power Sub-station, Phase-II का निर्माण किया जाना है। उक्त 33/11KV Power Sub-station, Phase-II हेतु चिन्हित गैरमजरूआ मालिक जंगल–साखु भूमि 2.35 एकड़ निर्माण हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल–झाड़ी, जंगल–सखुआ, जंगल इत्यादि) के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र का गैरमजरूआ (जंगल–झाड़ी, जंगल–सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	अंचल का नाम	परियोजना का नाम	ग्राम/ थाना सं0	खाता	प्लौट	रकबा (ए0में)	किस्म भूमि
1	तरहसी	तरहसी के कसमार में 33/11 KV Power Sub-station, Phase-II का निर्माण।	कसमार/495	137	2057/I	2.00	गैरमजरूआ मालिक जंगल–साखु

इस संबंध में विभागीय संकल्प सं0–1817, दिनांक–30.04.15 के द्वारा गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल–झाड़ी, जंगल–साखु, जंगल इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन हेतु अधिकतम 25.00 एकड़ भूमि तक संबंधित उपायुक्त एवं 25.00 एकड़ से अधिक गैरमजरूआ भूमि (जंगल–झाड़ी, जंगल–सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त के द्वारा निर्गत किया जाएगा। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का संकल्प सं0–5692, दिनांक–26.10.16 के आलोक में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं उसके अनुषंगी इकाईयों यथा–झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड/झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड/झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत 33/11 KV विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों, 220/132/33 KV ग्रिड सब–स्टेशनों के निर्माण हेतु सरकारी भूमि का निःशुल्क हस्तान्तरण का प्रावधान है।

चूंकि प्रस्तावित भूमि जंगल–झाड़ी प्रकृति की है। अतः उक्त संकल्प के आलोक में प्रस्तावित 2.00 एकड़ भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है तथा निदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि के अपयोजन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं0–202/1995 में पारित आदेश के आलोक में Deemed Forest भूमि (जंगल–झाड़ी, जंगल–साखु, जंगल इत्यादि) के गैर वानिकी अपयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की पूर्वानुमति की आवश्यकता है तथा वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–2659, दिनांक–28.07.2010 के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी, उपायुक्त से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत FRA प्राप्त कर लिया जाए। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा।

उपायुक्त, पलामू।

ज्ञापांक 1698/रा0, दिनांक 19.12.2018

प्रतिलिपि– विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति अंचल, डालटनगंज, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत उक्त भूमि गैर वानिकी कार्य के निर्माण हेतु FORM-A PART-I में आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू के यहां जमा कर FORM-A PART-II (FRA) प्राप्त करते हुए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत Online प्रस्ताव (8 प्रतियों में) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन प्रमण्डल मेदिनीनगर, पलामू के यहां समर्पित किया जाए।

प्रतिलिपि– जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उक्त चिह्नित की गयी भूमि का अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत उक्त भूमि गैर वानिकी कार्य के निर्माण हेतु ग्राम सभा कराते हुए FRA में प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेंसी को प्रदान करने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अंचल अधिकारी, तरहसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर, पलामू को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को जिला पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड, रांची के पत्रांक–1700/RE. दिनांक–15.03.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त, पलामू।